

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

v-192

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102878

दिनांक: 06/09/2023

लोक सूचना

श्री सुनिल कुमार पुत्र शामलाल जाति अरोडा निवासी प्लॉट नं. सी-2/32, ग्राउंड फ्लोर, स्टार रेजीडेन्सी, सेक्टर 2, चित्रकूट योजना, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का मिश्रित प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	श्री सुनिल कुमार पुत्र शामलाल जाति अरोडा निवासी प्लॉट नं. सी-2/32, ग्राउंड फ्लोर, स्टार रेजीडेन्सी, सेक्टर 2, चित्रकूट योजना, जयपुर।	1326/401	2900	0.29
कुल					0.29

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम राग्य के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **06-09-2023** को जारी की गयी।




प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



-: सूचना :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मुखण्ड संख्या	मुखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	रामेश आर्य	गणु आर्य	41	281.47	हरसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	सुखीजा विहार	लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड इकसारनामा पत्र, लीजडीड, साईट प्लान इत्यादि।
2	रामचन्द्र	धामू देवी	16 & 17	249.90 & 216.06	कीर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि.	सुखीजा विहार-ई	लीजडीड	अपंजीकृत इकसारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
3	सीता देवी चौधरी	स्वयं	04	1055.55	मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति	कीर्ति सागर-जे	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
4	फूलमती देवी	सोनी देवी	54-A WP	218.17	कीर्ति नगर कॉ. हा.सो.लि.	लक्ष्मी नगर	लीजडीड	अपंजीकृत इकसारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
5	सीता शर्मा	राजेश शर्मा	17	311.11	श्यामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति	श्याम नगर	लीजडीड	अपंजीकृत इकसारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
6	नीतू गुरुजी	अर्जुना शर्मा	C 5	143.11	हरसनपुरा-ए गृह निर्माण सहकारी समिति	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत इकसारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
7	आरती गोयल	अर्जुना शर्मा	A 49	152.77	हरसनपुरा-ए गृह निर्माण सहकारी समिति	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत इकसारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
8	नीतू गुरुजी	अर्जुना शर्मा	C 4	230.22	हरसनपुरा-ए गृह निर्माण सहकारी समिति	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत इकसारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।


उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) / 2023 / डी- 1906

दिनांक 6.9.2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V.N.

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ए/2023/डी-

दिनांक

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सार्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार भरत चरण, रवि पुत्रान श्री रामशरण एवं श्रीमती जनक किशोरी पत्नि रव. श्री रामशरण जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी-17, प्रिन्टर्स नगर, द्वितीय, सीताबाड़ी, टोंक रोड, जयपुर जरिये विक्रय पत्र से कथ मैसर्स श्री राधे कृष्णा लैण्डकॉन एलएलपी जरिये पार्टनर श्री राजेश गुप्ता पुत्र श्री रामबाबू गुप्ता निवासी-349, श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर द्वारा ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर के खसारा नम्बर 955/1 रकबा 0.89 हैक्ट. ख.नं. 949/3 रकबा 0.08 हैक्ट. कुल किरा 2 कुल रकबा 0.97 हैक्ट. में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर के खसारा नम्बर 955/1 रकबा 0.89 हैक्ट. ख.नं. 949/3 रकबा 0.08 हैक्ट. कुल किरा 2 कुल रकबा 0.97 हैक्ट. भूमि का 90ए के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 03.10.2013 को आवासीय प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अन्तर्गत पारित किया गया था। प्रकरण में 90 क की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की वी.पी.सी(एल पी.) की 297वीं बैठक दिनांक 15.3.2021 के निर्दिष्ट निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः उक्त ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर के खसारा नम्बर 955/1 रकबा 0.89 हैक्ट. ख.नं. 949/3 रकबा 0.08 हैक्ट. कुल किरा 2 कुल रकबा 0.97 हैक्ट. भूमि का आवासीय योजना प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में आवासीय योजना में मानचित्र जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 जनसंपर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोटो साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 2 खातेदार मैसर्स श्री राधे कृष्णा लैण्डकॉन एलएलपी जरिये पार्टनर श्री राजेश गुप्ता पुत्र श्री रामबाबू गुप्ता निवासी-349, श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-1898 दिनांक:- 05-09-2023


प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

जयपुर क्षेत्र में स्थित शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना बाहुबली नगर (मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास) के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए-15 एण्ड ए-29 क्षेत्रफल 477.22 व.ग. की लीजडीड दिनांक 07.02.2023 को डॉ. रमेश चॉवला पुत्र स्व. श्री सूरजमल चॉवला के नाम से जारी की गई थी। राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित सैक्टर व्यावसायिक के अनुसार आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा में भूखण्ड संख्या ए-14 व ए-30, दक्षिण दिशा में भू.सं. ए-16 व ए-28, पूर्व दिशा में 30 फीट रोड तथा पश्चिम दिशा में 30 मीटर सेक्टर रोड स्थित है।

किन्ही दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के संबध में आपत्ति/सुझाव जोन कार्यालय अथवा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 05/09/23 को जारी की गई।


उपायुक्त जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 1759

दिनांक 6/9/2023

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण मीनावाला गृ.नि.स.स. की योजना श्याम विहार विस्तार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।


उक्त कारण से आपके एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यो नही आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
गिस्वारीपुरा तह. जयपुर	58 69 71 72	1.5049 0.0885 0.1138 4.1101	1. शिवदत्त मिश्रा पुत्र रघुमिश्रा हिस्सा-पूर्ण जाति-मिश्रा बापू नगर जयपुर खातेदार


प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अधोहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
2. तहसीलदार जयपुर


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी- 2 26

दिनांक 5.9.23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नी श्री विनय कुमार अग्रवाल	श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नी श्री टीकम कुमार अग्रवाल	एस-37	22.22 व.ग.	जविप्रा	सुभाष नगर	नाम हस्तान्तरण /फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत बख्शीशनामा इत्यादि


उपायुक्त जोन-2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 3039


दिनांक:- 5/9/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	ग्रूखण्ड संख्या	यू.जि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री योगेश कुमार शर्मा	बी-2	जविप्रा	मालवीय नगर	पट्टा एवं नागहस्तान्तरण पत्र	अपंजिकृत इकरारनामा


5/9/23
उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-2539

दिनांक 06/9/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सडक रोड रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल, तहसील गाधोराजपुरा के खसरा नम्बर 392 रकबा 0.4552 हैक्ट. ख.नं. 393 रकबा 0.0759 हैक्ट., ख.नं. 394 रकबा 0.3667 हैक्ट. में से 0.1722 हैक्ट., ख.नं. 395 रकबा 0.0759 हैक्ट. में से रकबा 0.0620 हैक्ट., ख.नं. 396 रकबा 0.3667 हैक्ट., ख.नं. 399 रकबा 0.2403 हैक्ट. में से रकबा 0.1201 हैक्ट., ख.नं. 413 रकबा 0.4552 हैक्ट. में से रकबा 0.2964 हैक्ट., ख.नं. 414 रकबा 0.3161 हैक्ट. में से रकबा 0.0531 हैक्ट. कुल कित्ता 08 कुल रकबा 2.3520 हैक्ट में से रकबा 1.6016 हैक्ट. अर्थात् 16016 वर्गमीटर के खातेदार श्री नानग राम, श्री बालूराम, श्री भंवरलाल पुत्रान् छोटूराम, निवासी-ग्राम रेनवाल, तहसील गाधोराजपुरा, जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयान्धि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
(नियम 13(2) देखिए)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 1761

लोकसूचना

दिनांक 6/9/2023

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री लक्ष्मी गू.नि.स.स.लि. की योजना-मां हिंगलाज नगर-सी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्तवर्ती हस्तांतरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपटित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपटित धारा 90ए(5) एवं संपटित राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये परावर्तित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जाये।

ग्राम का नाम मय तहसील	खंसेरा नम्बर	रकबा (हेक्टेय र)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
धाउवास तह.-जयपुर	3	0.5185	<ol style="list-style-type: none"> कमल चौपडा पुत्र नन्दाराम हिरसा- 1/12 गोविन्द चौपडा पुत्र गिरधारीलाल हिरसा- 1/6 गौतम चौपडा पुत्र गिरधारीलाल हिरसा- 1/6 जगदीश चौपडा पुत्र नन्दाराम हिरसा- 1/12 जगन चौपडा पुत्र मदनलाल हिरसा- 1/6 देवीसहाय पुत्र नन्दाराम हिरसा- 1/12 बालूराम पुत्र नन्दाराम हिरसा- 1/12 शीताराम चौधरी पुत्र मदनलाल हिरसा- 1/6 सर्वजाति जाट सा देह खातेदार
धाउवास तह.-जयपुर	9	0.8726	<ol style="list-style-type: none"> कमल चौपडा पुत्र नन्दाराम हिरसा- 17/828 गोविन्द चौपडा पुत्र गिरधारीलाल हिरसा- 17/414 गौतम चौपडा पुत्र गिरधारीलाल हिरसा- 17/414 जगदीश चौपडा पुत्र नन्दाराम हिरसा- 17/828 जगन चौपडा पुत्र मदनलाल हिरसा- 17/414 देवीसहाय पुत्र नन्दाराम हिरसा- 17/828 बालूराम पुत्र नन्दाराम हिरसा- 17/828 शीताराम चौधरी पुत्र मदनलाल हिरसा- 17/414 सर्वजाति जाट सा देह खातेदार

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
कोम-7 जयपुर

घाडवास तह.-जयपुर	13/1	1.4184
	13/2	0.4932
	14/1	0.9738
गिरधारीपुरा तह. जयपुर	31	0.3415
गिरधारीपुरा तह. जयपुर	32	0.4426
गिरधारीपुरा तह. जयपुर	33	0.5817
	39	0.5059
	40	0.4426
गिरधारीपुरा तह. जयपुर	34	0.0253
	42	0.4679

- गोपालसिंह पुत्र रामराहाय हिस्सा-1/3
- महेन्द्र पुत्र रामराहाय हिस्सा-1/3
- सतीश पुत्र रामराहाय हिस्सा-1/3 सर्व जाति मीणा सा देह खातेदार
- अनोपदेवी पत्नि हनुमानसिंह हिस्सा-23/116
- देवेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा-31/116
- भवानीसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा-31/116
- सुरेन्द्र पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा-31/116
- काना पुत्र भगवानसहाय हिस्सा- 1/12
- कालुराम पुत्र प्रभात हिस्सा- 1/12
- गणेश पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/6
- नारायण पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/6
- प्रकाश पुत्र भगवानसहाय हिस्सा- 1/12
- रामू पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/6
- शैतानसिंह पुत्र प्रभात हिस्सा- 1/12
- सूज्या पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/6 सर्वजाति- जाट सा देह खातेदार
- कालुराम पुत्र प्रभात हिस्सा- 1/48
- गणेश पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/24
- जगदीश पुत्र छोदू हिस्सा- 1/4
- नारायण पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/24
- भगवानसहाय पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/24
- रामू पुत्र छोदू हिस्सा- 1/4
- रामू पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/24
- लक्ष्मण पुत्र छोदू हिस्सा- 1/4
- शैतानसिंह पुत्र प्रभात हिस्सा- 1/48
- सूज्या पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/24 सर्वजाति- जाट सा देह खातेदार
- जगदीश पुत्र छोदू हिस्सा- 1/3
- रामू पुत्र छोदू हिस्सा- 1/3
- लक्ष्मण पुत्र छोदू हिस्सा- 1/3 सर्वजाति- जाट सा देह खातेदार
- कालुराम पुत्र प्रभात हिस्सा- 1/24
- गणेश पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/12
- जगदीश पुत्र छोदू हिस्सा- 1/6
- नारायण पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/12
- भगवानसहाय पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/12
- रामू पुत्र छोदू हिस्सा- 1/6
- रामू पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/12
- लक्ष्मण पुत्र छोदू हिस्सा- 1/6
- शैतानसिंह पुत्र प्रभात हिस्सा- 1/24
- सूज्या पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/12 सर्वजाति- जाट सा देह खातेदार

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोम-7. जयिभा, जयपुर

लालरपुरा तह. जयपुर	6	0.7841	<ol style="list-style-type: none"> 1. घासी पुत्र छोदू पुत्र हिस्सा- 1/2 2. घासी पुत्र गौर्या हिस्सा- 1/4 3. नन्दकिशोर पुत्र मुरली हिस्सा- 1/20 4. प्रभूनारायण पुत्र मुरली हिस्सा- 1/20 5. लल्लूराग पुत्र मुरली हिस्सा- 1/20 6. श्रवण कुमार पुत्र मुरली हिस्सा- 1/20 7. सुरजगल पुत्र मुरली हिस्सा- 1/20 सर्वजाति- ब्राह्मण सा देह खातेदार
लालरपुरा तह. जयपुर	16	1.0497	<ol style="list-style-type: none"> 1. हनुमानसहाय पुत्र ईशर हिस्सा- 1/2 2. हरफूल पुत्र ईशर हिस्सा- 1/2 सर्वजाति- ब्राह्मण सा देह खातेदार
लालरपुरा तह. जयपुर	17/1	0.3162	<ol style="list-style-type: none"> 1. कगल चौपडा पुत्र नन्दाराम हिस्सा- 1/12 2. गोविन्द चौपडा पुत्र गिरधारीलाल हिस्सा- 1/6 3. गौतम चौपडा पुत्र गिरधारीलाल हिस्सा- 1/6 4. जगदीश चौपडा पुत्र नन्दाराम हिस्सा- 1/12 5. जगन चौपडा पुत्र मदनलाल हिस्सा- 1/6 6. देवीराहाय पुत्र नन्दाराम हिस्सा- 1/12 7. बालूराम पुत्र नन्दाराम हिस्सा- 1/12 8. सीताराम चौधरी पुत्र मदनलाल हिस्सा- 1/6 सर्वजाति जाट सा देह खातेदार
लालरपुरा तह. जयपुर	202/18	0.0660	1. कृष्णप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र औमप्रकाश खण्डेलवाल हिस्सा
	207/19	0.2063	284/1351 जाति- महाजन सा देह खातेदार
	209/20	0.1068	2. सुनीता अग्रवाल पुत्री मोहनलाल अग्रवाल हिस्सा- 1067/1351 जाति- अग्रवाल सा देह खातेदार
लालरपुरा तह. जयपुर	21/1	0.1518	1. कालू पुत्र गोपाल हिस्सा- 21/58 जाति- जाट सा देह खातेदार
	21/3	0.2150	2. जसराज पुत्र शंकरलाल हिस्सा- 37/58 जाति- अहीर(यादव) सा खातेदार
लालरपुरा तह. जयपुर	21/2	0.1265	<ol style="list-style-type: none"> 1. आशासामरिया पत्नि वेदप्रकाश सामरिया हिस्सा- 3/40 जाति- सामरिया सा देह खातेदार 2. कृष्णप्रकाश खण्डेलवाल पुत्र औमप्रकाश खण्डेलवाल हिस्सा- 3/40 जाति- खण्डेलवाल सा देह खातेदार 3. कालू पुत्र गोपाल हिस्सा- 7/20 जाति- जाट सा देह खातेदार 4. जसराज पुत्र शंकरलाल हिस्सा- 1/2 जाति- अहीर(यादव) सा खातेदार
लालरपुरा तह. जयपुर	22/1	0.1265	1. कालूराम पुत्र छीतर हिस्सा- 1/2
	23/1	0.1770	2. सोनी पत्नि छीतर हिस्सा- 1/2 सर्वजाति- जाट सा देह खातेदार
लालरपुरा तह. जयपुर	24	0.0506	1. छीतर पुत्र मन्ना हिस्सा- पूर्णजाति- जाट सा देह खातेदार
	27	0.2909	
	29	0.2909	
	32	0.1265	
लालरपुरा तह. जयपुर	25	0.0379	1. कालू पुत्र गोपाल हिस्सा- 1/2 जाति- जाट सा देह खातेदार
	26	0.1391	
	36	0.0885	
	37	0.3920	2. जसराज पुत्र शंकरलाल हिस्सा- 1/2 जाति- अहीर(यादव) सा देह खातेदार
	38	0.0379	

लालरपुरा तह. जयपुर	28	0.0632	1. कालुराम पुत्र गोपाल हिस्सा- 3/4 जाति- जाट सा देह खातेदार 2. सुन्दरी पत्नि शंकरलाल हिस्सा- 1/4 जाति- अहीर(यादव) सा देह खातेदार
लालरपुरा तह. जयपुर	29/210 29/212	0.2529 0.1518	1. कालुराम पुत्र गोपाल हिस्सा- 1/2 जाति- जाट सा देह खातेदार 2. सुन्दरी पत्नि शंकरलाल हिस्सा- 1/2 जाति- अहीर(यादव) सा देह खातेदार
लालरपुरा तह. जयपुर	29/211	0.2656	1. भोलू पुत्र प्रताप हिस्सा- 1/2 2. सोहन पुत्र प्रताप हिस्सा- 1/2 सर्वजाति- जाट सा देह खातेदार
लालरपुरा तह. जयपुर	30	0.0379	1. काना पुत्र भगवाना हिस्सा- 1/144 जाति- जाट सा देह खातेदार 2. कालुराम पुत्र गोपाल हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा देह खातेदार 3. गणेश पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/72 जाति- जाट सा देह खातेदार 4. छीतर पुत्र मन्ना हिस्सा- 5/12 जाति- जाट सा देह खातेदार 5. जसरराज पुत्र शंकरलाल हिस्सा- 1/6 जाति- अहीर (यादव) सा देह खातेदार 6. नारायण पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/72 जाति- जाट सा देह खातेदार 7. प्रकाश पुत्र भगवाना हिस्सा- 1/144 जाति- जाट सा देह खातेदार 8. प्रभात पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/72 जाति- जाट सा देह खातेदार 9. शमू पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/72 जाति- जाट सा देह खातेदार 10. सूज्या पुत्र गोविन्दा हिस्सा- 1/24 जाति- जाट सा देह खातेदार 11. सुन्दरी पत्नि शंकरलाल हिस्सा- 1/12 जाति- अहीर (यादव) सा देह खातेदार
लालरपुरा तह. जयपुर	33 34	0.1770 0.1518	1. कालुराम पुत्र गोपाल हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा देह खातेदार 2. छीतर पुत्र मन्ना हिस्सा- 5/12 जाति- जाट सा देह खातेदार 3. सुन्दरी पत्नि शंकरलाल हिस्सा- 1/12 जाति - अहीर (यादव) सा देह खातेदार
लालरपुरा तह. जयपुर	40 86	0.5691 0.3035	1. नानछा पुत्र प्रताप हिस्सा- 1/8 2. भोलू पुत्र प्रताप हिस्सा- 1/8 3. गेहरू पुत्र प्रताप हिस्सा- 1/8 4. रामदेवा पुत्र हरदेव हिस्सा- 1/2 5. सोहन पुत्र प्रताप प्रताप हिस्सा- 1/8
लालरपुरा तह. जयपुर	61	0.9864	1. जसरराज पुत्र शंकरलाल हिस्सा- 1/3 जाति- अहीर(यादव) सा देह खातेदार 2. भीमसिंह यादव पुत्र शंकर हिस्सा- 1/3 जाति- अहीर(यादव) सा देह खातेदार 3. सुन्दरी पत्नि शंकरलाल हिस्सा- 1/3 जाति- अहीर (यादव) सा देह खातेदार

लालरपुरा 66
तह. जयपुर

0.4300

- 1 काना पुत्र लादू हिस्सा- 1/12
- 2 कालूराम पुत्र झूथा हिस्सा- 1/8
- 3 किराना पुत्र गणेश हिस्सा 1/6
- 4 पीधू पुत्र लादू हिस्सा- 1/12
- 5 बाबूलाल पुत्र रामू हिस्सा- 1/12
- 6 गैरुराम पुत्र रामू हिस्सा 1/12
- 7 मैरुराम पुत्र झूथा हिस्सा 1/8
- 8 रामेश्वरलाल पुत्र भूराराम हिस्सा 1/8
- 9 लालाराम पुत्र झूथा हिस्सा- 1/8
- 1 गौरीलाल पुत्र रामनाथ हिस्सा- पूर्ण जाति- बल्लई सा देह खातेदार

लालरपुरा 67
तह. जयपुर

0.2909

0.623

0.2403

0.0253

0.3035

0.4173

1.0117

लालरपुरा 69
तह. जयपुर

- 1 जराराज पुत्र शंकरलाल हिस्सा- 1/3
- 2 भीमसिंह यादव पुत्र शंकर हिस्सा- 1/3
- 3 भीमसिंह यादव पुत्र शंकर हिस्सा- 1/3
- 4 सुन्दरी पत्नि शंकरलाल हिस्सा- 1/3 सर्वजाति- अहीर (यादव) सा देह खातेदार

लालरपुरा 70
तह. जयपुर

0.5691

0.3667

0.0885

लालरपुरा 71
तह. जयपुर

0.3035

0.3687

0.2909

- 1 रामदेव पुत्र हरदेव हिस्सा 1/2
- 2 हनुमान पुत्र हरदेव हिस्सा- 1/2 सर्वजाति- जाट सा देह खातेदार
- 1 नानछा पुत्र प्रताप हिस्सा- 1/4
- 2 भोलू पुत्र प्रताप हिस्सा 1/4
- 3 गैरूरु पुत्र प्रताप हिस्सा- 1/4
- 4 सोहन पुत्र प्रताप प्रताप हिस्सा 1/4 सर्वजाति- जाट सा देह खातेदार

लालरपुरा 73/217
तह. जयपुर

0.1138

- 1 कर्जोड पुत्र भूरिया हिस्सा- 1/9
- 2 नानछा पुत्र भूरिया हिस्सा- 1/9
- 3 रामदेवा पुत्र हरदेव हिस्सा- 1/9
- 4 रामनाथ पुत्र भूरिया हिस्सा- 1/9
- 5 हनुमान्या पुत्र हरदेव हिस्सा- 1/9

लालरपुरा 74
तह. जयपुर

0.0253

- 1 प्रताप पुत्र बक्सा हिस्सा- 1/2
- 2 भूरिया पुत्र हरदेवा हिस्सा- 1/8
- 3 रामदेवा पुत्र हरदेवा हिस्सा- 1/6
- 4 हनुमान्या पुत्र हरदेव हिस्सा- 1/6

लालरपुरा 81
तह. जयपुर

0.8600

- 1 कालूराम पुत्र गोपाल हिस्सा- 1/6 जाति- जाट सा देह खातेदार
- 2 भोलू पुत्र प्रताप हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा देह खातेदार
- 3 सुन्दरी पत्नि शंकरलाल हिस्सा- 1/6 जाति- अहीर (यादव) सा देह खातेदार
- 4 सोहन पुत्र प्रताप प्रताप हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा देह खातेदार

लालरपुरा 95
तह. जयपुर

0.1518

- 6 कर्जोड पुत्र भूरिया हिस्सा- 1/9
- 7 कजोड पुत्र भूरिया हिस्सा- 2/9
- 8 नानछा पुत्र भूरिया हिस्सा- 1/9
- 9 रामनाथ पुत्र भूरिया हिस्सा- 2/9
10. रामनाथ पुत्र भूरिया हिस्सा- 1/9
11. लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरिया हिस्सा- 2/9 सर्वजाति- जाट सा

लालरपुरा तह. जयपुर		देह खातेदार
7	0.0253	1 घासी पुत्र छोदू हिस्सा-1/4 2 घासी पुत्र भोरिया हिस्सा-1/4 3 नन्दकिशोर पुत्र मुरली हिस्सा-1/20 4 प्रभूनारायण पुत्र मुरली हिस्सा-1/20 5 रामचरण पुत्र गंगासहाय हिस्सा-1/4 6 लल्लूराम पुत्र मुरली हिस्सा-1/20 7 श्रवणकुमार पुत्र मुरली हिस्सा-1/20 8 सुरजमल पुत्र मुरली हिस्सा-1/20 सर्व जाति-ब्राह्मण सा देह खातेदार
8	0.3035	1 घासी पुत्र छोदू हिस्सा-1/2
14	0.1265	2 घासी पुत्र भोरिया हिस्सा-1/4 3 नन्दकिशोर पुत्र मुरली हिस्सा-1/20 4 प्रभूनारायण पुत्र मुरली हिस्सा-1/20 5 लल्लूराम पुत्र मुरली हिस्सा-1/20 6 श्रवणकुमार पुत्र मुरली हिस्सा-1/20 7 सुरजमल पुत्र मुरली हिस्सा-1/20 सर्व जाति-ब्राह्मण सा देह खातेदार

प्रशासन शहरी के सम अधिधान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंवायक्त शासनविभाग, राजस्थान-सराकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अधिधान/2021/गमजा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के विन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखनेवाले खातेदार/दासिदान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो गय सार्व के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा मे कार्यालय समय मे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावरित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 6/9/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

— 57 —
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- ✓ सूचना एवजान सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र मे प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का भ्रम करावे।
- 2 तहसीलदार जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-07 जविप्रा, जयपुर
जोन-7, जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक. जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 3667

दिनांक:- 6/9/23

सार्वजनिक सूचना

सक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण/लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल ब.ग. मे	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	164	1036.59	स्वरूप विहार	श्रीमती रश्मि मीना पत्नी श्री ओम प्रकाश मीना	श्री बलवीर श्री पुत्र श्री महेंद्र	अपंजीकृत इकरारनामा
2.	163	641.66	स्वरूप विहार	श्रीमती सोमोती मीणा पत्नी श्री राम खिलाडी मीना	श्री बली श्री पुत्र श्री महेंद्र	अपंजीकृत इकरारनामा
3.	162	636.28	स्वरूप विहार	श्रीमती सोमोती मीणा पत्नी श्री राम खिलाडी मीना	श्रीमन लाल मीना पुत्र श्री रामकुमार	अपंजीकृत इकरारनामा

उपायुक्त-जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का भ्रन करावें।

उपायुक्त-जोन-9
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-04
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमंक. LU2012/JDA/2023-24/102875

दिनांक: 06/09/2023

लोक सूचना

श्रीमति **MANPREET KAUR** पत्नी श्री **RAVINDER PAL SINGH** जाति **SIKH** निवासी **2-GA-1, JAWAHAR NAGAR, JAIPUR, RAJ.**


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **फार्म हाउस** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	झालाना चौड़, सांगानेर (जयपुर)	MANPREET KAUR	438/240	186	0.0186
2.	झालाना चौड़, सांगानेर (जयपुर)	MANPREET KAUR	440/242	2815	0.2815
				कुल	0.3001

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारी के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसाइसमें आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक वस्तुओं को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **06-09-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-04
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1757

दिनांक: 6/9/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मध्य दरतावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स./ निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिराके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्रीमती कानी देवी कटारिया पत्नी श्री कानाराम कटारिया	श्रीमती कानी देवी कटारिया पत्नी श्री कानाराम कटारिया	9-ए	आवासीय	नेमी नगर विस्तार (तोपखानादेश गृ.नि.स.स.)	450.0 व. ग.	आवासीय	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2023/डी-2351

दिनांक : 6/9/23

लोक सूचना

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखराम जाति-मीना निवासी-107/218, सेक्टर नं.-17, प्रताप नगर, आर.एच.बी. हल्दीघाटी मार्ग, जयपुर जरिये मुख्यतयारआम श्री जय भटनागर पुत्र श्री धीरेन्द्र भटनागर, निवासी-10, श्याम कॉलोनी, एयरपोर्ट, साँगानेर, जयपुरने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ लीजडीड जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (व.मी.)	खातेदार का नाम	धारा 90ए की कार्यवाही दिनांक
तहसील-आमेर जिला-जयपुर	लबाना	1928	0.18	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	15.10.2014 फार्म हाउस प्रयोजनार्थ
		1929	0.25		
		1930	0.27		
		1931	0.09		
		1932	0.12		
		1933	0.14		
		1962	0.20		
		किता-7	कुल रकबा 1.25 हेक्टे.		

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किए जाने पर आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 6/9/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियों इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 3667

दिनांक:- 6/9/23

सार्वजनिक सूचना

उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण/लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. मे	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	164	1036.59	स्वरूप विहार	श्रीमती रश्मि मीना पत्नी श्री ओम प्रकाश मीना	श्री बलबीर पुत्र श्री महेन्द्र	अपंजीकृत ईकरारनामा
2.	163	641.66	स्वरूप विहार	श्रीमती सोमोती मीणा पत्नी श्री राम खिलाडी मीना	श्री बली पुत्र श्री महेन्द्र	अपंजीकृत ईकरारनामा
3.	162	636.28	स्वरूप विहार	श्रीमती सोमोती मीणा पत्नी श्री राम खिलाडी मीना	श्रीमन लाल मीना पुत्र श्री रामकुमार	अपंजीकृत ईकरारनामा

उपायुक्त जोन-9
उपसुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम चन्दलाई, तहसील चाकसू के संलग्न खसरांनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


उपायुक्त

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जोन 14 जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-2228
दिनांक:- 6/9/2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102871

दिनांक: 06/09/2023

लोक सूचना

श्री BHAGWAN SAHAY BAIRWA पुत्र श्री SHANKAR BAIRWA जाति BAIRWA निवासी BAIRWA KI DHANI, SAMBHARIYA, JAIPUR, RAJ.

श्रीमति GOVINDI पत्नी श्री LAXMI NARAYAN जाति BAIRWA निवासी MANGOL PURA DELHI

श्रीमति GUDDI DEVI पत्नी श्री MOHAN LAL BAIRWA जाति BAIRWA निवासी CHITTORA JAIPUR RAJ.

श्री JAGDISH BAIRWA पुत्र श्री SHANKAR जाति BAIRWA निवासी BAIRWA KI DHANI, SAMBHARIYA, JAIPUR, RAJ.

श्रीमति LALITA DEVI पत्नी श्री SHAMBHU DAYAL जाति BAIRWA निवासी RAMPURAWAS BORAYA KI DHANI DEOGAON BASSI JAIPUR RAJ.

श्री NARENDRA KUMAR पुत्र श्री GANPAT LAL BAIRWA जाति BAIRWA निवासी BAIRWA KI DHANI, SAMBHARIYA, JAIPUR, RAJ.

श्रीमति NATHI DEVI पत्नी श्री RAMNIVAS जाति BAIRWA निवासी CHANDLAI JAIPUR RAJ.

श्रीमति NATHI DEVI पत्नी श्री RAM NARAYAN BAIRWA जाति BAIRWA निवासी CHANDLAI JAIPUR RAJ.

श्रीमति PARVATI DEVI पत्नी श्री CHOTI LAL जाति BAIRWA निवासी 128, RAM COLONY, SANGANER, JAIPUR, RAJ.

श्री RAMESHVAR पुत्र श्री RAMNIVAS जाति BAIRWA निवासी CHANDLAI, JAIPUR, RAJ.

श्री RAMJI LAL BAIRWA पुत्र श्री GOGARAM BAIRWA जाति BAIRWA निवासी CHANDLAI JAIPUR RAJ.

श्री RAMPHOOL BAIRWA पुत्र श्री SHANKAR BAIRWA जाति BAIRWA निवासी BAIRWA KI DHANI, SAMBHARIYA, JAIPUR, RAJ.

श्रीमति RAMPYARI DEVI पत्नी श्री SHANKAR BAIRWA जाति BAIRWA निवासी BAIRWA KI DHANI, SAMBHARIYA, JAIPUR, RAJ.

श्री TARACHAND BAIRWA पुत्र श्री GANPAT LAL BAIRWA जाति BAIRWA निवासी KHARRLI DHANI, CHANDLAI, JAIPUR RAJ.

श्रीमति URMILA DEVI पत्नी श्री PREM CHAND जाति BAIRWA निवासी 128, SITARAM COLONY, SANGANER, JAIPUR, RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	चंदलाई, चाकसू (जयपुर)	NATHI DEVI, RAMESHVAR, GUDDI DEVI, GOVINDI DEVI	1017	2500	0.25


2.	चंदलाई, चाकसू (जयपुर)	NATHI DEVI, RAMESHVAR, GUDDI DEVI, GOVINDI DEVI	6961/1013	900	0.09
3.	चंदलाई, चाकसू (जयपुर)	NATHI DEVI, RAMESHVAR, GUDDI DEVI, GOVINDI DEVI	6963/1014	1400	0.14
4.	चंदलाई, चाकसू (जयपुर)	RAMPYARI DEVI, JAGDISH BAIRWA, RAMJI LAL BAIRWA, NARENDRA KUMAR, LALITA DEVI, TARACHAND BAIRWA, RAMPHOOL BAIRWA, NATHI DEVI, BHAGWAN SAHAY BAIRWA, URMILA DEVI, PARVATI DEVI	1016	1300	0.13
5.	चंदलाई, चाकसू (जयपुर)	RAMPYARI DEVI, JAGDISH BAIRWA, RAMJI LAL BAIRWA, NARENDRA KUMAR, LALITA DEVI, TARACHAND BAIRWA, RAMPHOOL BAIRWA, NATHI DEVI, BHAGWAN SAHAY BAIRWA, URMILA DEVI, PARVATI DEVI	1018	2000	0.2
6.	चंदलाई, चाकसू (जयपुर)	RAMPYARI DEVI, JAGDISH BAIRWA, RAMJI LAL BAIRWA, NARENDRA KUMAR, LALITA DEVI, TARACHAND BAIRWA, RAMPHOOL BAIRWA, NATHI DEVI, BHAGWAN SAHAY BAIRWA, URMILA DEVI, PARVATI DEVI	6965/1015	1033	0.1033
7.	चंदलाई, चाकसू (जयपुर)	RAMPYARI DEVI, JAGDISH BAIRWA, RAMJI LAL BAIRWA, NARENDRA KUMAR, LALITA DEVI, TARACHAND BAIRWA, RAMPHOOL BAIRWA, NATHI	6970/1012	500	0.05

		DEVI, BHAGWAN SAHAY BAIRWA, URMILA DEVI, PARVATI DEVI				
					कुल	0.9633

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **06-09-2023** को जारी की गयी।


 प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


यू.ओ. नोट

विषय:— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम चन्दलाई, तहसील चाकसू के संलग्न खसरांनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जोन-14 जयपुर

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-2229
दिनांक:- 6/9/2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102872

दिनांक: 06/09/2023

लोक सूचना

श्री KAJOD MAL BAIRWA पुत्र श्री RAMPRATAP BAIRWA जाति BAIRWA निवासी CHANDLAI, JAIPUR, RAJ.

श्री LAL CHAND BAIRWA पुत्र श्री CHHITAR जाति BAIRWA निवासी PRATAPNAGAR SANGANER, JAIPUR RAJ.

श्रीमति TARA DEVI पत्नी श्री VINOD GOTHWAL जाति GOTHWAL निवासी 138, CHAMPA NAGAR, SHYAM NAGAR JAIPUR RAJ.

श्री SURESH पुत्र श्री CHHITAR जाति BAIRWA निवासी 181, JDA COLONY, GOVINDPURA, SANGANER, JAIPUR RAJ.

श्री LALCHAND BAIRWA पुत्र श्री RAMPRATAP जाति BAIRWA निवासी CHANDLAI, JAIPUR, RAJ.

श्री GOPAL पुत्र श्री BHOMA RAM जाति BAIRWA निवासी CHANDLAI JAIPUR RAJ.

श्री BHAGWAN SAHAY पुत्र श्री PRATAP जाति BAIRWA निवासी CHANDLAI, JAIPUR, RAJ.

श्री HAJARI LAL पुत्र श्री BHOMA RAM जाति BAIRWA निवासी 482, JDA COLONY, GOVINDAPURA, SANGANER, JAIPUR, RAJ.

श्रीमति DHAPU DEVI पत्नी श्री CHITAR जाति BAIRWA निवासी CHANDLAI, JAIPUR, RAJ.

श्री PRAHLAD KUMAR VARMA पुत्र श्री CHHITAR MAL जाति BAIRWA निवासी CHANDLAI, JAIPUR, RAJ.

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	चंदलाई, चाकसू (जयपुर)	KAJOD MAL BAIRWA, LAL CHAND BERWA, TARA DEVI, SURESH, LAL CHAND, GOPAL, BHAGAWAN SAHAY, HAJARI LAL, DHAPU, PRAHLAD KUMAR VARMA	913	200	0.02
2.	चंदलाई, चाकसू (जयपुर)	KAJOD MAL BAIRWA, LAL CHAND BERWA, TARA DEVI, SURESH, LAL CHAND, GOPAL, BHAGAWAN SAHAY, HAJARI LAL,	914	1900	0.19

		DHAPU, PRAHLAD KUMAR VARMA			
3.	चंदलाई, चाकसू (जयपुर)	KAJOD MAL BAIRWA, LAL CHAND BERWA, TARA DEVI, SURESH, LAL CHAND, GOPAL, BHAGAWAN SAHAY, HAJARI LAL, DHAPU, PRAHLAD KUMAR VARMA	918	800	0.08
कुल					0.29

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **06-09-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर